3. BIHAR: During 1972-73, some Naxalite literature was recovered in Police raids in Telco Colony, Jamshedpur, Village Sakrauli (Muzaffar pur): Village Dehri (Patna). 25 persons were arrested in this connection and the cases are under investigation.

4. PUNJAB: One pamphlet in red ink exhorting people to violence was seized and a case under section 9 of the Punjab Security of the State Act was registered at Police Station Sadar, Jullundur, on 13th December, 1973. One person was arrested. The case is under investigation.

5. WEST BENGAL: Naxalite literature was seized by the police in some places of West Bengal in the recent past. However, no person was arrested or convicted on the sole ground of possession of Naxalite literature.

Information from Meghalaya and Orissa is awaited Information in respect of the remaining States and the Union Territories is 'nil'

सीमेंट निर्माताओं के द्वारा विलम्ब से सीमेंट कोटा देने के कारण सीमेंट का अभाव

7036. श्री चिरंजीव झा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 के बाद हर वर्ष सीमेंट का उत्पादन उपभोग से औसतन 3,00,000 टन अधिक होता रहा है ;

(ख) क्या सीमेंट कारखानों के मालिक सीमेंट की कीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से पूरा कोटा कारखानों से बाहर नहीं निकालते; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट के इस कृत्रिम अभाव एवं मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). वर्ष 1968 से 1973 के दौरान विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों को अलग अलग सीमेंट फैक्टरियों से भेजे गये प्रेषणों में प्रदर्शित उत्पादन तथा खपत निम्नलिखित थी :—

वर्ष	उत्पादन	खपत (प्रेषण)
1968	118.9	115.6
1969	135.3	135.0
1970	139.9	138.2
1971	149 0	148 4
1972	157.1	157.4
1973	150.7	147.7

जहां तक निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है सीमेंट की कीमतों को बढ़वाने के लिए सीमेंट के उत्पादकों मे प्रेषणों को रोक की वृत्ति नही है ।

सीमेंट की कीमत तथा वितरण का विनियमन [illegible] सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबन्धों के अधीन किया जाता है । इस आदेश के अधीन गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा, मुक्त कीमत सभी रेल के गन्तव्य स्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाती है । जब कि आदेश के खण्ड 10 के अन्तर्गत राज्य के अन्दर सीमेंट की थोक तथा खुदरा कीमत निश्चित करने की शक्ति राज्य सरकारों को दे दी गई है । अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रयोजन के लिए सीमेंट को एक अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया गया है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन परमिट जारी किये विक्रेताओं तथा स्टाकिस्टों आदि को लाइसेंस देकर सीमेंट के वितरण के विनियमनकारी आदेश जारी करें । इस अधिनियम के अन्तर्गत समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अपेक्षित शक्तियां राज्य सरकारों को प्राप्त हैं ।